UPVR010053682026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1760 / 2026

राजेश कुमार केशरी पुत्र घनश्याम दास केशरी निवासी–काशीपुरा, थाना–चौक, जिला–वाराणसी। .....प्रार्थी / अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....अभियोजक।

मु.अ.सं.–121 / 2026,
धारा–331(4),305(a),238,317(2),
61(2) बी.एन.एस.
थाना–चितईपुर, वाराणसी।

09–06–2026

प्रार्थी / अभियुक्त **राजेश कुमार केशरी** की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादिनी मुकदमा डा0 वीणा पाण्डेय द्वारा थाना–चितईपुर, वाराणसी में इस आशय की प्रथम सूचना दर्ज करायी कि महामनापुरी कलोनी, लेन नं. 9 स्थित वादिनी के निर्माणाधीन मकान में दिनांक–15 / 16 मई 2026 की रात्री को बाउंड्री कूद के ग्राउंड फ्लोर पर सभी बोर्ड से और पैनल बाक्स के तार को काट लिया गया है। जिसका वजन लगभग 35 KG था, और प्रथम तल के स्टोर रुम का ताला तोड़ कर 12 बंडल बिजली के कीमती कापर तार, 20 हैवी ड्यूटी पैनल लाइट, केमिकल मिक्सर मशीन, एक भरा हुआ गैस सिलेंडर और प्लंबिंग के कीमती सामान चोरों ने चोरी कर लिया है। जिसकी कीमत लगभग 8 लाख है। वादिनी का कर्मचारी दिनांक– 16 / 05 / 2026 के सुबह 9:00 बजे जब वादिनी क निर्माणाधीन मकान पर पहुंचा तब उपरोक्त चोरी का पता चला। जिसकी सूचना वादिनी टेलीफोन के द्वारा थानाध्यक्ष महोदय चितईपुर को दे चुकी है और यह पत्र भी दे रही है।

प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उपरोक्त मु०अ०सं० दिनांक 16 / 05 / 2026 को अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। प्राथी / अभियुक्त जनरल स्टोर की दुकान चलाता है। प्रार्थी / अभियुक्त की जनरल स्टोर की दुकान पर दिनांक–23 / 05 / 2026 को तीन अज्ञात लडके सामान खरीदने आये और प्रार्थी / अभियुक्त उनको सामान देकर पैसा ले ही रहा था तभी कुछ पुलिस वाले आये और उन लडको को पकड लिया और साथ मे प्रार्थी / अभियुक्त को भी पकड कर ले जाने लगी जिसपर प्रार्थी / अभियुक्त उनका विरोध किया जिसपर पुलिस वालो ने कहा थाने पर चलो वहाँ तुम्हे बताया जायेगा। थाने पर ले जाने के बाद पुलिस वालो ने प्रार्थी / अभियुक्त से बताया की तुम इन लडको से चोरी का सामान खरीदते हो जिसपर प्रार्थी / अभियुक्त ने कहा वह ना इन लडको को जानता है ना ये लडके जानते है। आज से पहले इनसे कभी नही मिला ना ही इनसे कोई चोरी का सामान ही खरीदा है जिसपर पुलिस वाले बोले मत बताओ सब पता कह कर सभी को लॉकब में बन्द कर दिये। कुछ देर बाद

Digitally signed by SANDHYA SRIVASTAVA
Date: 2026.06.11 19:53:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पुलिस वालो द्वारा प्राथी/अभियुक्त से उसे छोडने के लिए पैसो की मांग की गयी जिसपर प्राथी/अभियुक्त ने इन्कार करते हुए बोला की जब मैने कुछ किया ही नही है तो पैसा किस बात का पैसा दु जिस पर पुलिस वालो ने प्रार्थी/अभियुक्त का मारा भी और गाली देते हुए बोले तुम ज्यादा तेज बन रहे हो तुम्हे अभी सब पता चल जायेगा बोलकर फिर लॉकब में बन्द कर दिये। शाम को प्राथी/अभियुक्त पर एक चोरी के फर्जी मुकदमे में मनगढंत कहानी बनाकर उन लडको के साथ उसी मुकदमे मे वांछित कर और जले हुए तार के कापर की बरामदगी प्रार्थी/अभियुक्त के पास से दिखकर दिनांक–24/05/2026 को जेल भेज दिया गया और उन लडको को किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के पास जले हुए तार के कॉपर की बरामदगदी के अलावा कोई अन्य सामान की बरामदगी नहीं हुई है। उपरोक्त तथ्यो एंव परिस्थितियों के आलोक में प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने की यांचना की गयी है। है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुए प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर स्टोर रुम का ताला तोड़ कर 12 बंडल बिजली के कीमती कापर तार, 20 हैवी ड्यूटी पैनल लाइट, केमिकल मिक्सर मशीन, एक भरा हुआ गैस सिलेंडर और प्लंबिंग के कीमती सामान चोरों कर लिये जाने का अभियोग है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से 9.800 किग्रा तारनुमा कॉपर बरामद किया गया है। कथित गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज की गयी है। अभियुक्त को पुलिस के समक्ष की गयी संस्वीकृति के आधार पर नामित किया गया है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 24–05–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त दोषी हैं अथवा निर्दोष इसे विचारण के उपरांत ही देखा जा सकता है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के मत में मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **राजेश कुमार केशरी** की ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) का व्यक्तिगत बंध पत्र व इतनी ही धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर बाद सत्यापन इस शर्त पर जमानत पर रिहा जाय कि अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा मामले के साक्षियों को आतंकित व प्रभावित नहीं करेगा।

दिनांक : 09–06–2026

(संध्या श्रीवास्तव)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी
JO Code-UP 6203

Steno-Mohd. Muqeem